





Save Family
Foundation
(Regd.)

www.saveindianfamily.in
SIF One: Helpline for Men

8882 498 498

MEMORANDUM

To:			
10			

From:

Men Welfare Trust (MWT) and Save Family Foundation (SFF)

Subject:

Urgent Appeal for Establishment of a National Commission for Men and Systemic Reforms Following the Tragic Suicide of Atul Subhash and Ensuring Gender-Neutral Laws

Honourable Sir/Madam,

We, the undersigned concerned citizens of India, are writing to express our deep concern regarding the lack of a dedicated national body to address the growing challenges faced by men in India, particularly within the family and legal system. While women have the National Commission for Women to safeguard their rights and address their concerns, men lack a similar platform.

The recent tragic suicide of Atul Subhash, a 34-year-old techie from Bengaluru, highlights the urgent need for such a commission. Subhash's suicide note detailed the relentless harassment and extortion he faced from his estranged wife and her family, who filed nine cases against him, including false accusations of dowry demands, domestic violence, and even murder. This case is not an isolated incident. It tragically underscores the systemic failures that leave men vulnerable to harassment, false accusations, and legal exploitation within the Indian justice system.

The Men Welfare Trust (MWT) and Save Family Foundation (SFF), are registered NGO dedicated to men's rights, and receives approximately 6,000 calls on its all-India helpline (8882498498) from men and their families facing distress. The organization has documented numerous cases of men being falsely accused and subjected to legal battles. It advocates for gender-neutral laws and policies, contending that current laws often discriminate against men. The Trust highlights that dowry, maintenance and other women centric laws, while intended to protect women, have been misused against men, leading to their harassment and even suicide.

This concern is further substantiated by the NCRB suicide report of 2022, which reveals that the number of suicide deaths among married men is 2.73 times higher than that of married women. This alarming statistic underscores the gravity of the situation and the urgent need to address the issues faced by men in India.

Email: <u>menwelfaretrust@gmail.com</u> Website: <u>www.menwelfare.in</u>





Save Family
Foundation
(Regd.)

www.saveindianfamily.in

SIF One: Helpline for Men 8882 498 498

The case of Atul Subhash also raises serious concerns about the integrity of the judiciary. Subhash accused a family court judge of demanding a bribe, highlighting the urgent need for greater transparency and accountability within the judicial system.

It is important to note that while the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Sakshya Bill, and Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita were recently introduced, they have now been replaced with the original names of the laws: the Indian Penal Code (IPC), the Indian Evidence Act, and the Code of Criminal Procedure (CrPC).

Despite this reversion, the need for gender-neutral laws remains crucial. Many provisions within these laws, including those related to marriage, divorce, and domestic violence, still disproportionately affect men. This situation violates Articles 14, 15, and 21 of the Indian Constitution, which guarantee equality before the law, prohibit discrimination based on gender, and protect the right to life and liberty. The absence of a National Commission for Men further exacerbates this inequality.

In light of this, we urge you to consider the following:

- 1. <u>Establish a National Commission for Men</u>: With alarming statistics indicating over 120,000 male suicides annually, this commission would serve as a dedicated platform for addressing men's issues, including:
- Protection of Fundamental Rights: To investigate cases of violation of men's fundamental rights and take steps to safeguard them.
- False Accusations: Providing support and legal aid to men facing false accusations of dowry harassment, domestic violence, and other crimes.
- Recognising Domestic Violence on Men: Offering shelter, counseling, and legal assistance to male victims of domestic violence.
- **Divorce and Child Custody**: Ensuring fair representation and support for men during divorce and child custody proceedings.
- Suicide Prevention: Implementing programs and helplines specifically designed to address the high suicide rate among men.
- Mental Health Support: Improving access to mental health resources for men facing challenges related to family issues and legal battles.
- **Public Awareness**: Launching campaigns to raise awareness about men's issues, promote gender equality in family matters, and educate the public about the misuse of laws.
- 2. <u>Ensure Gender-Neutral Laws:</u> It is high time to amend, review, and reform existing laws related to sexual violence, dowry, and maintenance, including the Protection of Women from Domestic Violence Act. It is essential to ensure that these laws are gender-neutral and protect all victims of domestic violence, regardless of gender. Men

Address: C-403, Arvind Apartment, Plot 9, Sector 19-B, Dwarka, New Delhi - 110075

Contacts: 9811004578 9818509406 9910074914 9015980399

Email: menwelfaretrust@gmail.com Website: www.menwelfare.in





Save Family
Foundation
(Regd.)

www.saveindianfamily.in

SIF One: Helpline for Men

8882 498 498

should also be granted the same fundamental rights as women. The Constitution provides all citizens with the Right to Equality (Article 14), Rights against Exploitation (Articles 23-24), and the Right to Constitutional Remedies (Article 32), among others. Unfair laws can never bring fairness to society; they only destroy social harmony, leading to increased hate, violence, and crime. The law must treat everyone equally and not discriminate against any citizen based on their gender. To achieve this, it is necessary to **replace the terms 'husband/wife' with 'spouse' and 'man/woman' with 'person' in the laws.**

3. <u>Judicial Accountability</u>, <u>Expeditious and Impartial Investigation</u>: We insist on an immediate, thorough, and unbiased investigation into the circumstances surrounding Mr. Subhash's passing. This investigation demands transparency and accountability for all involved. Implement stricter measures to combat judicial corruption and ensure everyone is held accountable, regardless of position.

We implore your immediate intervention and decisive action to address these critical issues, prevent further tragedies like that of Atul Subhash, and ensure a just and *equitable society for all citizens, not just one gender.* We believe that establishing a National Commission for Men is a crucial step in this direction, and we are committed to working with the government to achieve this goal.

For any further information or to arrange a meeting for a detailed representation and elaboration on these matters, kindly give opportunity to Men Welfare Trust (MWT) and Save Family Foundation (SFF).

We expect prompt response and commitment to meaningful action.

Thank you for your time and consideration.

Best Regards, Priyash Bhargava +91 9810072702

Email: menwelfaretrust@gmail.com Website: www.menwelfare.in





Save Family
FOUNDATION
(Regd.)

www.saveindianfamily.in

SIF One: Helpline for Men 8882 498 498

<u>ज्ञापन</u>

सेवा में,:	
प्रेषक::	
मेन वेलफेयर ट्रस्ट (MWT) एवं सेव फैमिली फाउंडेशन (SFF)	

विषय:

अतुल सुभाष की दुखद आत्महत्या के बाद पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना और व्यवस्थागत सुधारों की तत्काल अपील एवं लिंग-तटस्थ कानूनों को स्निश्चित करना

माननीय महोदय/महोदया,

हम, भारत के चिंतित नागरिक, भारत में पुरुषों द्वारा सामना की जा रही बढ़ती चुनौतियों, विशेषकर परिवार और कानूनी व्यवस्था के भीतर, के समाधान के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय निकाय की कमी के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं। जहां महिलाओं के पास अपने अधिकारों की रक्षा और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, वहीं पुरुषों के पास ऐसा कोई मंच नहीं है।

हाल ही में बेंगलुरु के 34 वर्षीय टेक विशेषज्ञ अतुल सुभाष की दुखद आत्महत्या इस तरह के आयोग की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। सुभाष के सुसाइड नोट में उनकी अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार द्वारा किए गए लगातार उत्पीड़न और जबरन वसूली का विवरण दिया गया है, जिन्होंने दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और यहां तक कि हत्या के झूठे आरोपों सहित उनके खिलाफ नौ मामले दर्ज किए थे। यह मामला कोई अलग-थलग घटना नहीं है। यह दुखद रूप से उन व्यवस्थागत विफलताओं को रेखांकित करता है जो पुरुषों को भारतीय न्याय व्यवस्था के भीतर उत्पीड़न, झूठे आरोपों और कानूनी शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

मेन वेलफेयर ट्रस्ट (MWT) और सेव फैमिली फाउंडेशन (SFF), पुरुषों के अधिकारों के लिए समर्पित पंजीकृत गैर सरकारी संगठन हैं, जिन्हें संकट का सामना कर रहे पुरुषों और उनके परिवारों से अपनी अखिल भारतीय हेल्पलाइन (8882498498) पर लगभग 6,000 कॉल प्राप्त होती हैं। संगठन ने पुरुषों पर झूठा आरोप लगाए जाने और कानूनी लड़ाई का सामना करने के कई मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। यह लिंग-तटस्थ कानूनों और नीतियों की वकालत करता है, यह तर्क देते हुए कि वर्तमान कानून अक्सर पुरुषों के साथ भेदभाव करते हैं। ट्रस्ट इस बात पर प्रकाश डालता है कि दहेज, भरण-पोषण और महिला केंद्रित अन्य कानून, जबिक महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उनका दुरुपयोग पुरुषों के खिलाफ किया गया है, जिससे उनका उत्पीड़न और यहां तक कि आत्महत्या भी हुई है।

Address: C-403, Arvind Apartment, Plot 9, Sector 19-B, Dwarka, New Delhi - 110075 *Contacts*: 9811004578 9818509406 9910074914 9015980399

Email: menwelfaretrust@gmail.com Website: www.menwelfare.in





Save Family
FOUNDATION
(Regd.)

www.saveindianfamily.in

SIF One: Helpline for Men 8882 498 498

यह चिंता एनसीआरबी की 2022 की आत्महत्या रिपोर्ट से और पुष्ट होती है, जिसमें पता चला है कि विवाहित पुरुषों में आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या विवाहित महिलाओं की तुलना में 2.73 गुना अधिक है। यह खतरनाक आंकड़ा स्थिति की गंभीरता और भारत में पुरुषों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अतुल सुभाष का मामला न्यायपालिका की ईमानदारी के बारे में भी गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। सुभाष ने एक पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जिससे न्यायिक व्यवस्था के भीतर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हाल ही में पेश की गई थीं, अब उन्हें कानूनों के मूल नामों: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) से बदल दिया गया है। इस प्रत्यावर्तन के बावजूद, लिंग-तटस्थ कानूनों की आवश्यकता महत्वपूर्ण बनी हुई है। इन कानूनों के भीतर कई प्रावधान, जिनमें विवाह, तलाक और घरेलू हिंसा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, अभी भी पुरुषों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हैं। पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अभाव इस असमानता को और बढ़ा देता है।

इसके आलोक में, हम आपसे निम्नलिखित पर विचार करने का आग्रह करते हैं:

- 1. पुरुषों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना: खतरनाक आंकड़े सालाना 120,000 से अधिक पुरुष आत्महत्याओं का संकेत देते हैं, यह आयोग पुरुषों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में काम करेगा, जिसमें शामिल हैं:
- मौलिक अधिकारों का संरक्षण: पुरुषों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना और उनकी रक्षा के लिए कदम उठाना।
- झूठे आरोप: दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों के झूठे आरोपों का सामना कर रहे पुरुषों को सहायता और कानूनी सहायता प्रदान करना।
- रुषों पर घरेलू हिंसा को पहचानना: घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों को आश्रय, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करना।
- तलाक और बच्चे की कस्टडी: तलाक और बच्चे की कस्टडी की कार्यवाही के दौरान पुरुषों के लिए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और समर्थन स्निश्चित करना।
- आत्महत्या की रोकथाम: पुरेषों में उच्च आत्महत्या दर को दूर करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों और हेल्पलाइन को लागू करना।
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता: पारिवारिक मुददों और कानूनी लड़ाई से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे पुरुषों के लिए मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक पहंच में सुधार करना।

 Address: C-403, Arvind Apartment, Plot 9, Sector 19-B, Dwarka, New Delhi - 110075

 Contacts:
 9811004578
 9818509406
 9910074914
 9015980399

Email: <u>menwelfaretrust@gmail.com</u> Website: <u>www.menwelfare.in</u>





Save Family
Foundation
(Regd.)

www.saveindianfamily.in

SIF One: Helpline for Men

8882 498 498

- जन जागरूकता: पुरुषों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पारिवारिक मामलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कानूनों के दुरुपयोग के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए अभियान शुरू करना।
- 2. लिंग-तटस्थ कान्नों को सुनिश्चित करें: मौजूदा यौन हिंसा, दहेज और भरण-पोषण कान्नों, साथ ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में संशोधन, समीक्षा और सुधार का समय आ गया है। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि ये कान्न लिंग-तटस्थ हों और घरेलू हिंसा के सभी पीड़ितों की रक्षा करें, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। पुरुषों को भी महिलाओं के समान मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24), संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) आदि प्रदान करता है। अनुचित कान्न समाज में कभी भी निष्पक्षता नहीं ला सकते; वे केवल सामाजिक सद्भाव को नष्ट करते हैं, जिससे अधिक घृणा, हिंसा और अपराध होते हैं। कान्न को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके लिए, कान्नों में 'husband/wife' शब्दों को 'spouse' और 'पुरुष/महिला' को 'व्यक्ति' से बदलना आवश्यक है।
- 3. <u>न्यायिक जवाबदेही, शीघ्र और निष्पक्ष जांच</u>: हम श्री सुभाष की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की तत्काल, गहन और निष्पक्ष जांच पर जोर देते हैं। इस जांच में शामिल सभी लोगों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग है। न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े उपाय लागू करें और सुनिश्चित करें कि सभी को जवाबदेह ठहराया जाए, चाहे उनकी स्थिति क्छ भी हो।

हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने, अतुल सुभाष जैसी और त्रासदियों को रोकने और सभी नागरिकों के लिए न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज सुनिश्चित करने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप और निर्णायक कार्रवाई की implore करते हैं, न कि केवल एक लिंग के लिए। हमारा मानना है कि पुरुषों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

किसी भी और जानकारी के लिए या इन मामलों पर विस्तृत प्रतिनिधित्व और विस्तार के लिए बैठक की व्यवस्था करने के लिए, कृपया मेन वेलफेयर ट्रस्ट (MWT) और सेव फैमिली फाउंडेशन (SFF) को अवसर दें।

हमें त्वरित प्रतिक्रिया और सार्थक कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता की उम्मीद है। आपके समय और विचार के लिए धन्यवाद।

साभार, प्रियाश भार्गव +91 9810072702

Address: C-403, Arvind Apartment, Plot 9, Sector 19-B, Dwarka, New Delhi - 110075

Contacts: 9811004578 9818509406 9910074914 9015980399

Email: menwelfaretrust@gmail.com Website: www.menwelfare.in